समक्ष कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित : बी0 राम शास्त्री, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रा0प0सं0:12/13 अन्तर्गत धारा-59 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008

प्रार्थी सर्वश्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झॉसी।

प्रार्थी की ओर से श्री असीम कुमार व श्री आर0 एन0 पाल, अधिकृत प्रतिनिधि।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झॉसी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-12 / 13, दिनांक 02.04.2013 प्रस्तुत करते हुए '' **डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार (DETC) पर कर की देयता जाननी चाही गयी है** ''।

2. प्रार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि-श्री असीम कुमार व श्री आर0 एन0 पाल उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रतिष्ठान भारत सरकार का उपक्रम है। रेलवे से डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार (DETC) की आपूर्ति करने का टेन्डर मिला है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-105 में Rail coaches, engines & wagons and parts thereof. पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्राविधानित है। इस अनुसूची में DETC का उल्लेख नहीं है। उत्तराखण्ड वैट एक्ट शिड्यूल-11 (B) नोटिफिकेशन नम्बर-189 / 2012 / 02 / 120 / XXV11 (B) / 12 / दिनांक 28.05.2012 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा OHE maintainance car को वर्गीकृत करते हुए उस पर 4% की दर से करदेयता प्राविधानित की गयी है। DETC भी '' Electricity Vehicle for maintainance of railway tracks '' के अन्तर्गत आता है अत: उत्तर प्रदेश में भी DETC पर अतिरिक्त कर सहित 5% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी के पत्र संख्या-197, दिनांक 20.04.2013 से प्राप्त आख्या में कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत रेल इन्जन पर अतिरिक्त कर सहित 5% की दर से करदेयता है। इसके अन्तर्गत जो वस्तुएं आती हैं वह रेल यात्रियों के आवागमन तथा माल के परिवहन हेत, रेल को खींचने के लिए Engine Coach and their parts हैं, जबकि DETC, रेल इन्जन, रेल कोच, वैगन तथा उसके पार्ट्स के अन्तर्गत नहीं आता है। इसका प्रयोग '' ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायरिंग के मेन्टीनेन्स '' में होता है इसलिए यह अवर्गीकृत वस्तु है और इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-105 पर '' Rail coaches, engines & wagons and parts thereof. " का उल्लेख है। इसी प्रकार से उक्त अनुसूची के पार्ट-सी के क्रमांक-222 पर '' Railway switches, crossings, switch expansion joints, steel turnout sleepers, fish -plate, steel clips, track bolts and nuts, elastic rail clips and railway signal, signalling equipments and accessories and parts thereof. " उक्त दोनों क्रमाकों पर '' डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार '' का उल्लेख नहीं है। अत: DETC पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से

करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-105 व अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-222 पर उल्लिखित वस्तुओं में DETC का उल्लेख नहीं है। DETC रेल इन्जन भी नहीं है, क्योंकि रेल इन्जन ऊर्जा का उत्पादन करते हुए रेल को खींचने का कार्य करता है, जबकि DETC रेलवे ट्रैक पर ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायरिंग के मेन्टीनेन्स के कार्य के लिए है जो किसी प्रकार से रेल इन्जन व कोच नहीं है। **अतः डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार (DETC) पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।**

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

ह0 / 29.04.2013

(बी0 राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।